

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उदारता से मेक इन इंडिया मिशन व रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा



भारत सरकार ने मेक इन इंडिया मिशन को केन्द्र में रखकर देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को और उदार बनाने का नीतिगत निर्णय लिया है। देश को आगामी 5 वर्षों के दौरान ही एक ट्रि. डॉलर के निवेश की आवश्यकता बुनियादी ढांचागत विकास के क्षेत्र में होगी और यह धनराशि भारत अपने आंतरिक संसाधनों से जुटा पाने में सक्षम नहीं है। ऐसे हालात में कर्ज पर निर्भरता को बढ़ाने की बजाय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने का सरकार का निर्णय सार्थक कहा जा सकता है। यह निर्णय

भारत में औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देगा। घरेलू स्तर पर युवाओं को रोजगार

उपलब्ध होगा और देश की राजस्व आय बढ़ने के साथ विदेशी मुद्रा आय भी बढ़ेगी। देश के निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। भारत आज विश्व की सर्वाधिक तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है और विदेशी निवेशकों का भारत में निवेश के प्रति विश्वास व रुझान तेजी के साथ बढ़ रहा है, सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान ईज ऑफ़ डुईंग बिजनेस योजना के अंतर्गत विश्व स्तर पर अनेक रोट शो भी किये हैं और भारत को दो वर्षों के दौरान पूर्व वर्षों के मुकाबले 40 प्रतिशत अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी प्राप्त हुआ है। सरकार ने प्रथम चरण में गत वर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में छूट देने की घोषणा की थी और अब पुनः ईज ऑफ़ डुईंग बिजनेस की कार्य योजना के अंतर्गत सुरक्षा, नागरिक विमानन, फार्मास्युटिकल, सिंगल ब्रांड रिटेल, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शर्तों में और ढील देने की घोषणा की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध करने वाली सरकार ने सिंगल ब्रांड रिटेल में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के साथ प्रथम तीन वर्ष की अवधि में स्थानीय 30 प्रतिशत आउट सोर्सिंग की शर्त को वापस ले लिया है इसके साथ ही 30 प्रतिशत स्थानीय सोर्सिंग की अवधि को बढ़ाकर कुल आठ वर्ष कर दिया है।

नागरिक विमानन के क्षेत्र में अब तक भारत सरकार व रिजर्व बैंक की अनुमति से नये हवाई अड्डे के निर्माण में 100 प्रतिशत व पुराने हवाई अड्डे के निर्माण में 74 प्रतिशत निवेश की अनुमति थी लेकिन नये प्रावधानों के अनुसार अब पूर्व अनुमति के बिना पुरानी हवाई अड्डा परियोजनाओं में भी 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है इससे अनेक निजी क्षेत्र की वर्तमान में परिचालित हवाई अड्डा परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हो सकेगा तथा देश के छोटे शहरों में हवाई अड्डों के विकास व विमान सेवाओं के परिचालन क्षेत्र में भी निवेश आकर्षित हो सकेगा। गत सप्ताह जारी नागरिक विमानन नीति के अंतर्गत विभिन्न मार्गों व शहरों के साथ जुड़ाव व नागरिकों को उचित शुल्क की नीति का लाभ सुलभ किया गया था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में ढील दिये जाने से कंपनियों में विदेशी निवेश संभव होगा उनकी जहाजों की संख्या व शक्ति में वृद्धि होगी और विदेशी कंपनियां अपने कौशल व नई तकनीक के द्वारा भारत में सेवाओं का परिचालन भी कर सकेंगी। विदेशी कंपनियां स्वतंत्र कोषों व निवेशकों के साथ मिलकर देश में नये उपक्रमों की शुरुआत कर सकेंगी तथा भारत में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी की हवाई सेवा शुरू कर सकेंगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में छूट का सीधा अर्थ यह है कि पूर्व की नियामक बाधाएँ अब पीछे छूट जायेंगी।

की नियमित बाधाएं अब कुछ घट चुकी हैं।

भारत के संदर्भ में इससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व देशी पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा तथा इसके कारण भारतीय विमानन कंपनियां अधिक सुविधाजनक शर्तों पर पूंजी जुटा सकेगी। 49 प्रतिशत निवेश तो ऑटोमेटिक स्वचालित मार्ग से ही संभव हो सकेगा लेकिन शेष हिस्सेदारी विदेशी गैर हवाई यात्रा कंपनी के द्वारा ली जा सकेगी। छोटे हथियारों व एम्प्युनिशन के संदर्भ में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति दी गई है। 49 प्रतिशत से अधिक निवेश सरकार की अनुमति से संभव होगा। आज भी भारत को निवेश वातावरण को और मजबूत बनाने के लिए बहुत कुछ करना शेष है। इसके लिए अनुबंधों का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से करने की आवश्यकता होगी। विद्युत की चोरी को रोकने के लिए कठोर नियमों की आवश्यकता होगी ताकि भारत में परिचालित सभी संयंत्रों को उचित मात्रा में विद्युत आपूर्ति सहज हो सके तथा देश में छोटे से बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा ताकि विदेशी निवेशक कानून के दायरे में रहकर कानून के अनुसार अपना व्यवसाय कर सके। इसके लिए अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप को भी समाप्त करने की आवश्यकता होगी। सुरक्षा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ सरकार ने सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है। 49 प्रतिशत से अधिक निवेश स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक के संदर्भ में सरकार की अनुमति से संभव होगा। औषधि उत्पादन के क्षेत्र में ब्राउनफील्ड अर्थात् पूर्व में परिचालित उत्पादन इकाईयों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सरकार की अनुमति से ही संभव था लेकिन अब सरकार ने 74 प्रतिशत निवेश स्वचालित मार्ग से प्राप्त करने की अनुमति देने की घोषणा की है।

ग्रीन फील्ड अर्थात् नई औषधि उत्पादन इकाईयों में यह निवेश 100 प्रतिशत तक संभव हो सकेगा। इसकी अनुमति पूर्व में दी जा चुकी है। भारत गत वर्षों के दौरान जेनरिक औषधियों का प्रमुख निर्यातक देश बन गया है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में ढील दिये जाने से विदेशी ब्रांडेड कंपनियां भारत में साझेदारी कर सकेगी। कंपनियों का अधिग्रहण भी कर सकेगी और विश्व बाजार में अपनी अन्य शाखाओं के माध्यम से व्यवसाय भी कर सकेगी। ब्रांडकारिंग क्षेत्र में भी सरकार ने 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वीकृति ऑटोमेटिक मार्ग से देने की घोषणा की है। इससे टेलीपोर्ट डायरेक्ट टू होम, केबल नेटवर्क व मोबाईल टीवी सेवाएं शामिल हैं। सरकार ने निजी सुरक्षा एजेंसियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान 49 प्रतिशत निवेश स्वचालित मार्ग व तथा शेष सरकार की अनुमति से होगा। इसी तरह एनीमल हजबैंडी क्षेत्र में 100 प्रतिशत निर्यातित शर्त को सरकार ने हटाने की घोषणा की है।

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विपणन के संदर्भ में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति सरकारी अनुमति से दिये जाने की घोषणा की गई है। भारतीय कंपनियों के उत्पादों को ई-कॉमर्स कंपनियां इसके माध्यम से देश के संपूर्ण बाजार में बेच सकेगी। इसके माध्यम से वालमार्ट व टेस्को जैसी कंपनियां भी भारतीय उत्पादों के विपणन के क्षेत्र में निवेश कर कारोबार कर सकेगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधित नीति को उदार बनाये जाने से निश्चित रूप से देश में मेक इन इंडिया मिशन को प्रोत्साहन मिलेगा तथा बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश के साथ रोजगार सृजन का भी मार्ग प्रशस्त होगा। भारत आधुनिक तकनीक आधारित रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर सकेगा और देश में औषधि उत्पादन के साथ निर्यात में भी गतिशीलता आयेगी।